



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082023-247974
CG-DL-E-09082023-247974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त, 9, 2023/श्रावण 18, 1945

No. 466]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST, 9, 2023/SHRAVANA 18, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 595(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पंद्रहवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 10नघ के उपनियम (3ख) में, "निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23" शब्दों और अंकों के स्थान पर "निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 58/2023/फा.सं. 370142/26/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

स्पष्टात्मक ज्ञापन: यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है और पूर्व वर्ष 2022-23 से सुसंगत निर्धारण वर्ष 2023-24 पर लागू होता है। तदनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) तारीख 1 अगस्त, 2023 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 595(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (2) of section 92CB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Income-tax (Fifteenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall deemed to have come into force from the 1st day of April 2023.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 10TD, in sub-rule (3B), for the words and figures “assessment years 2020-21, 2021-22 and 2022-23”, the words and figures “assessment years 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted.

[Notification No. 58/2023/ F. No. 370142/26/2023-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum: This amendment is effective from 1st day of April, 2023 and applies to assessment year 2023-24 relevant to previous year 2022-23. Accordingly, it is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 579 (E), dated 1st August, 2023.

